वित्त मंत्रालय

मांग संख्या 33

वित्तीय सेवा विभाग

क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

		वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	राजस्व	...	18776.41	18776.41	50.00	20234.10	20284.10	50.00	24254.65	24304.65	50.00	9841.94	9891.94
	पूंजी	*...*	*2000.00*	*2000.00*	*...*	*17325.00*	*17325.00*	*7880.00*	*15752.12*	*23632.12*	*7800.00*	*14.00*	*7814.00*
	जोड़	**...**	**20776.41**	**20776.41**	**50.00**	**37559.10**	**37609.10**	**7930.00**	**40006.77**	**47936.77**	**7850.00**	**9855.94**	**17705.94**
1. सचिवालय – सामान्य सेवाएं	2052	...	12.89	12.89	...	12.40	12.40	...	14.17	14.17	...	15.02	15.02
अन्य राजकोषीय सेवाएं													
2. अन्य व्यय (विशेष न्यायालय एवं अभिरक्षक का कार्यालय)	2047	...	7.52	7.52	...	8.44	8.44	...	7.64	7.64	...	7.78	7.78
अन्य प्रशासनिक सेवाएं													
3. औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण के लिए अपीलीय प्राधिकरण	2070	...	2.18	2.18	...	2.20	2.20	...	2.45	2.45	...	2.57	2.57
4. औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड	2070	...	8.16	8.16	...	8.43	8.43	...	13.04	13.04	...	12.19	12.19
5. ऋण वसूली न्यायाधिकरण	2070	...	40.52	40.52	...	38.78	38.78	...	41.05	41.05	...	48.06	48.06
6. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण	2070	...	11.70	11.70	...	16.00	16.00	...	16.00	16.00	...	16.00	16.00
जोड़-अन्य प्रशासनिक सेवाएं		**...**	**62.56**	**62.56**	**...**	**65.41**	**65.41**	**...**	**72.54**	**72.54**	**...**	**78.82**	**78.82**
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं													
7. अन्य व्यय (परिसमापन न्यायालय का कार्यालय, कोलकाता)	3475	...	0.56	0.56	...	0.47	0.47	...	1.54	1.54	...	0.62	0.62
औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं													
8. नोडल अभिकरणों अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय आवास बैंक को सब्सिडी का भुगतान	2885	...	...	...	...	700.00	700.00	...	100.00	100.00	...	500.00	500.00
9. एसएएसएफ को जारी प्रतिभूतियों का मोचन													
9.01 सकल व्यय	2885	...	300.00	300.00	...	...	...	...	300.00	300.00	...	...	...
9.02 घटाइए – आईडीबीआई की दाबग्रस्त परिसंपत्तियों की वसूली	6885	...	-300.00	-300.00	...	...	...	...	-300.00	-300.00	...	...	...
	कुल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	2885	...	...	...	...	154.33	154.33	...	154.33	154.33	...	...	...
11. भारतीय निर्यात-आयात बैंक	4885	...	300.00	300.00	...	300.00	300.00	...	300.00	300.00	300.00	...	300.00

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
12. इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लि0 (आईआईएफसीएल)													
12.01 विश्व बैंक पीएचआरडी अनुदान के तहत शामिल किए गए अध्ययन	2885	...	1.60	1.60	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12.02 इक्विटी पूंजी	4885	...	500.00	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	500.00	1000.00	...	1000.00
जोड़- इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लि0 (आईआईएफसीएल)		...	*501.60*	*501.60*	...	*500.00*	*500.00*	...	*500.00*	*500.00*	*1000.00*	...	*1000.00*
जोड़-औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं		**...**	**801.60**	**801.60**	**...**	**1654.33**	**1654.33**	**...**	**1054.33**	**1054.33**	**1300.00**	**500.00**	**1800.00**
कृषि वित्तीय संस्थाएं													
13. सरकारी ऋण ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से अनुदान	2416	...	800.00	800.00	...	984.65	984.65	...	1014.65	1014.65	...	0.01	0.01
14. किसानों को अल्प अवधि ऋण मुहैया कराने के लिए ब्याज सहायता	2416	...	2011.00	2011.00	...	3000.00	3000.00	...	4000.00	4000.00	...	4868.00	4868.00
15. दीर्घावधि सहकारी ऋण तंत्र की पुन:व्यवस्था	2416	...	...	...	...	1000.00	1000.00	...	500.00	500.00	...	1000.00	1000.00
16. वित्तीय समावेशन कोष को अंशदान	2416	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00
17. वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी कोष को अंशदान	2416	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00
18. कृषि वित्तीय संस्थानों के सम्बन्ध में खर्च न किए गए शेष की वसूली काट लें	2416	...	-522.18	-522.18	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19. ऋणात्मक निवल संपत्ति वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुन:पूंजीकरण के लिए सरकारी अंशदान	4416	...	...	...	...	...	...	...	350.00	350.00	500.00	...	500.00
जोड़-कृषि वित्तीय संस्थाएं		**...**	**2308.82**	**2308.82**	**...**	**5004.65**	**5004.65**	**...**	**5884.65**	**5884.65**	**500.00**	**5888.01**	**6388.01**
सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाएं													
20. नाबार्ड में आरबीआई स्टेक की अधिग्रहण लागत	5465	...	...	...	...	...	...	1430.00	...	1430.00	...	...	...
21. एनएचबी में आरबीआई स्टेक की अधिग्रहण लागत	5465	...	...	...	...	...	...	450.00	...	450.00	...	...	...
22. युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की इक्विटी पूंजी की पुनर्संरचना													
22.01 सकल व्यय	5465	...	1266.00	1266.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
22.02 घटाइए – वसूलियां	5465	...	-1266.00	-1266.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	कुल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को टीयर-I के साधन के रूप में अंशदान	5465	...	1200.00	1200.00	...	1500.00	1500.00	...	1500.00	1500.00	...	...	...
24. भारतीय स्टेट बैंक के इक्विटी शेयरों में राइट इश्यु में अंशदान के एवज में जारी प्रतिभूतियों के मोचन के लिए प्रतिभूति मोचन निधि में अंशदान	3465	...	625.00	625.00	...	625.00	625.00	...	625.00	625.00	...	625.00	625.00
	5465	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	...	*625.00*	*625.00*	...	*625.00*	*625.00*	...	*625.00*	*625.00*	...	*625.00*	*625.00*
25. बैंक रहित ब्लाकों में बैंक शाखा खोलने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सहायता	3465	...	...	...	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	...	...	...

http://indiabudget.nic.in

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
26. वित्तीय समावेशन योजना के एक ऋण के रूप में स्वाभिमान स्कीम के तहत 'नो फ्रिल्स' खाता खोलने के लिए बैंकों को वित्तीय सहायता	3465	...	...	...	...	...	...	...	...	...	50.00	...	50.00
27. विश्व बैंक ऋण के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुन:पूंजीकरण	5465	...	...	...	...	15000.00	15000.00	...	12657.00	12657.00	...	...	...
28. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको का पुनः पूंजीकरण	5465	...	...	...	...	...	...	6000.00	...	6000.00	6000.00	...	6000.00
29. एसएआरएफएईएसआई अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक पंजीकरण की स्थापना के लिए सरकारी पूंजीगत अंशदान	5465	...	...	...	...	25.00	25.00	...	25.00	25.00	...	...	...
30. विश्व बैंक के तहत सहायता प्राप्त सूक्ष्म वित्त परियोजना के अन्तर्गत भारत में सूक्ष्म वित्त की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए भारतीय लघु विकास बैंक (सिडबी) को विश्व बैंक द्वारा दी गई सहायता	5465	...	...	...	...	...	...	...	420.12	420.12	...	14.00	14.00
31. गोआ के बैंकों को ब्याज सब्सिडी	2885	...	0.08	0.08	...	0.08	0.08	...	0.08	0.08	...	0.08	0.08
जोड़-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाएं		**...**	**1825.08**	**1825.08**	**50.00**	**17150.08**	**17200.08**	**7930.00**	**15227.20**	**23157.20**	**6050.00**	**639.08**	**6689.08**
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण													
32. किसानों के लिए ऋण माफी और ऋण राहत योजना													
32.01 किसान ऋण राहत कोष को अंतरण	2235	...	15000.00	15000.00	...	12000.00	12000.00	...	16000.00	16000.00	...	2000.00	2000.00
32.02 किसानों को ऋण माफी और ऋण राहत के लिए ऋण संस्थाओं को भुगतान													
32.02.01 सकल व्यय	2235	...	15000.00	15000.00	...	12000.00	12000.00	...	12000.00	12000.00	...	6000.00	6000.00
32.02.02 घटाइए – किसानों को ऋण राहत निधि से प्राप्त राशि	2235	...	-15000.00	-15000.00	...	-12000.00	-12000.00	...	-12000.00	-12000.00	...	-6000.00	-6000.00
	कुल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
32.03 उधार संस्थाओं की ब्याज का भुगतान	2235	...	458.85	458.85	...	1434.00	1434.00	...	1434.00	1434.00	...	287.00	287.00
जोड़- किसानों के लिए ऋण माफी और ऋण राहत योजना		*...*	*15458.85*	*15458.85*	*...*	*13434.00*	*13434.00*	*...*	*17434.00*	*17434.00*	*...*	*2287.00*	*2287.00*
33. समुदाय आधारित सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों को आर्थिक सहायता	2235	...	28.00	28.00	...	20.00	20.00	...	25.00	25.00	...	20.00	20.00
34. वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन योजना के लिए जीवन बीमा निगम को ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता	2235	...	270.76	270.76	...	209.32	209.32	...	175.70	175.70	...	199.61	199.61
35. अधि-भुगतान की वसूलियों को काटें	2235	...	-0.01	-0.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...
36. खर्च न किए गए शेष की वसूली को काटें	2235	...	-0.22	-0.22	...	...	...	...	...	...	...	...	...
37. नई पेंशन स्कीम ज्वाइन करने के लिए असंगठित क्षेत्र के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए स्वावलम्बन स्कीम													
37.01 स्वाभिमान स्कीम के तहत नई पेंशन स्कीम के अंशधारकों को	2235	...	...	...	...	...	...	...	100.00	100.00	...	200.00	200.00

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2010-2011 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2010-2011 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2011-2012 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
37.02 स्वावलम्बन स्कीम के तहत नामांकन तथा अंशदान के लिए संवर्धक तथा विकास गतिविधियों के लिए वित्तीय मदद	2235	...	...	...	...	...	...	...	10.00	10.00	...	20.00	20.00
जोड़- नई पेंशन स्कीम ज्वाइन करने के लिए असंगठित क्षेत्र के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए स्वावलम्बन स्कीम		...	...	...	...	...	...	...	*110.00*	*110.00*	...	*220.00*	*220.00*
जोड़-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण		**...**	**15757.38**	**15757.38**	**...**	**13663.32**	**13663.32**	**...**	**17744.70**	**17744.70**	**...**	**2726.61**	**2726.61**
कुल जोड़		*...*	*20776.41*	*20776.41*	*50.00*	*37559.10*	*37609.10*	*7930.00*	*40006.77*	*47936.77*	*7850.00*	*9855.94*	*17705.94*

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. योजना परिव्यय													
1. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13475	...	...	...	50.00	...	50.00	7930.00	...	7930.00	6050.00	...	6050.00
2. उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय	12885	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1300.00	...	1300.00
3. अन्य कृषि कार्यक्रम	12435	...	...	...	...	...	...	...	...	...	500.00	...	500.00
जोड़		**...**	**...**	**...**	**50.00**	**...**	**50.00**	**7930.00**	**...**	**7930.00**	**7850.00**	**...**	**7850.00**

1. **सचिवालय-सामान्य सेवाएं:** यह प्रावधान वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. **अन्य राजकोषीय सेवाएं (विशेष न्यायालय तथा अभिरक्षक का कार्यालय):** यह प्रावधान प्रतिभूतियों में होने वाले लेनदेनों सहित अनियमितताओं की जांच करने हेतु विशेष न्यायालय (प्रतिभूतियो मे लेन देन से संबंधित अपराधों की परख) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत स्थापित अभिरक्षक तथा विशेष न्यायालय के कार्यालय के लिए है।

3-6. **अन्य प्रशासनिक सेवाएं:** यह प्रावधान औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण, औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, ऋण वसूली अधिकरण तथा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण को अनुदान प्रदान करने के लिए है।

7. **अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं (परिसमापक न्यायालय कार्यालय, कोलकाता):** यह प्रावधान परिसमापक न्यायालय के कार्यालय, कोलकाता के लिए है।

8. **प्रमुख एजेंसियों जैसे भारतीय रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय आवास बैंक को सब्सिडी का भुगतान:** यह प्रावधान प्रमुख एजेंसियों जैसे भारतीय रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय आवास बैंक के जरिए 10.00 लाख रू. तक आवास ऋण पर 1% ब्याज सहायता प्रदान करने के लिए है। ब्याज सब्सिडी अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों तथा राष्ट्रीय आवास बैंक में पंजीकृत आवासीय कम्पनियों के जरिए प्रदान की जाती है। ब्याज सब्सिडी 1 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होगी।

9. **भारग्रस्त परिसंपति स्थायीकरण निधि (एसएएसएफ) को जारी-प्रतिभूतियों का शोधन:** एसएएसएफ ट्रस्ट डीड के प्रावधान के संदर्भ में, एसएएसएफ भारग्रस्त तथा निष्क्रिय परिसंपति में से वसूल की गई धनराशि को भारत सरकार को विप्रेषित कर रहा है तथा भारत सरकार एसएएसएफ से प्राप्त धनराशि को आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को भुगतान कर रही है। इस संदर्भ में आईडीबीआई लि. बैंक को भुगतान करने के लिए तद्नुसार प्रावधान किया गया है।

10. **भारतीय औद्योगिक विकास बैंक:** यह प्रावधान ब्याज अंतर के कारण (अर्थात् नियुक्त तारीख 1.03.2003 को संविदात्मक ब्याज दर तथा विद्यमान उधार-के संदर्भ में 8% ब्याज के बीच अंतर) आईडीबीआईबैंक. लि. को सहायता के लिए है। यह आईडीबीआई (अब आईडीबीआई बैंक लि.) के दायित्वों की पुनर्संरचना करते समय इसकी उच्च उधार लागत को कम करने के लिए सरकार के 17 फरवरी, 2005 के निर्णय पर आधारित है।

11. **भारतीय आयात-निर्यात बैंक (एक्जिम बैंक):** एक्जिम बैंक निर्यातों तथा आयातों के लिए वित्तीय सहायता देता है तथा देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संवर्धन के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात तथा आयात में लगी संस्थाओं के कार्य के समन्वयन के लिए प्रधान वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करता है। यह प्रावधान बैंक की चुकता पूंजी को इसकी प्राधिकृत पूंजी के स्तर तक बढ़ाने के लिए इक्विटी सहायता/अंशदान के रूप में एक्जिम बैंक को धनराशि जारी करने के लिए हैं।

12. **भारत अवसंरचना वित्त कम्पनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल):** आईआईएफसीएल बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से लिए गए अन्य ऋणों के अनुपूर्ति करने के लिए पात्र परियोजना को सीधे निधियाँ, विशेषकर दीर्घावधिक परिपक्वता वाले ऋण प्रदान करता है। कम्पनी दीर्घावधिक अवसंरचना वित्त के अंतर को पूरा करेगी जिसका निवारण करने में बैंक अस्तियों तथा देयताओं में अमेलन की समस्याओं के कारण असमर्थ हैं। व्यवसाय कार्यक्रम तथा पूंजी अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए यह प्रावधान आईआईएफसीएल को इक्विटी सहायता के लिए है।

13. **अल्पावधिक सहकारी ऋण तंत्र (एसटीसीसीएस) के सुदृढ़िकरण हेतु नाबार्ड को अनुदान:** यह प्रावधान प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पीएसीएस) से प्रारंभ करते हुए अल्पावधिक सहकारी ऋण तंत्र (एसटीसीसीएस) के विभिन्न स्तरों के पुन: पूंजीकरण हेतु नावार्ड को अनुदान जारी करने के लिए है। योजना का मूल उद्देश्य एसटीसीसीएस को पुनर्जीवित करना है ताकि ग्रामीण भारत की ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे सुव्यस्थित तथा जीवंत माध्यम बनाया जा सके।

14. **किसानों को अल्प अवधि ऋण मुहैया कराने के लिए ब्याज सहायता:** यह प्रावधान नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंकों तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों को किसानों हेतु 7% प्रतिवर्ष की अल्पावधिक ऋण मुहैया कराने हेतु ब्याज सहायता के लिए है।

15. **दीर्घावधिक सहकारी ऋण तंत्र की पुन: व्यवस्था:** यह प्रावधान देश में दीर्घावधिक सहकारी ऋण तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए सुधारात्मक उपाय करने हेतु राज्यों और सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन देने के लिए नाबार्ड को अनुदानों का भुगतान करने के लिए है।

16-17. **वित्तीय समावेश निधि (एफआईएफ) तथा वित्तीय समावेश प्रौद्योगिकी निधि (एफआईटीएफ) में अंशदान:** यह प्रावधान वित्तीय समावेश निधि (एफआईएफ) तथा वित्तीय समावेश प्रौद्योगिकी निधि (एफआईटीएफ) में अंशदान के लिए है।

18. **कृषि संबंधी वित्तीय संस्थाओं के संदर्भ में अप्रयुक्तशेष राशि की घटी हुई वसूली:** कृषि संबंधी वित्तीय संस्थाओं से अप्रयुक्त शेषराशि की वसूली को दर्शाते है।

19. **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुन: पूंजीकरण हेतु सरकारी अंशदान:** यह प्रावधान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुन: पूंजीकरण के लिए है।

20. **नाबार्ड में आरबीआई स्टेक की अधिग्रहण लागत:** यह प्रावधान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक की धारिता को अधिगृहित करने हेतु व्यय को पूरा करने के लिए है।

21. **एनएचबी में आरबीआई स्टेक के अधिग्रहण की लागत:** यह प्रावधान राष्ट्रीय आवास बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक की धारिता को अधिगृहित करने हेतु व्यय को पूरा करने के लिए है।

23. **सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पूंजीकरण के लिए टीयर-I लिखत अभिदान:** यह प्रावधान सरकारी क्षेत्र की बैंकों की पूंजी धनराशि को बढ़ाने के लिए टियर-1 लिखत में अभिदान के लिए है।

24. **भारतीय स्टेट बैंक के इक्विटी शेयरों में राइड इश्युओं में अभिदान के एवज में जारी प्रतिभूतियों के मोचन के लिए प्रतिभूति मोचन निधि में अंशदान:** यह प्रावधान भारतीय स्टेट बैंक के इक्विटी शेयरों में राइट इश्युओं में अभिदान के एवज में जारी प्रतिभूतियों के मोचन के लिए प्रतिभूति मोचन निधि में अंशदान के लिए है।

25. **बैंक विहीन क्षेत्रों में बैंक शाखाएँ खोलने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सहायता:** यह प्रावधान वित्तीय समावेश योजना के रूप में बैंक रहित क्षेत्रों में बैंक शाखाएँ खोलने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सहायता देने के लिए है।

26. **वित्तीय समावेशन की योजनाओं के अंतर्गत स्वाभिमान योजना के तहत:** यह प्रावधान व्यावसायिक सुविधाकर्ताओं (बीसी) और अन्य मॉडलों के जरिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी सहायता देकर मार्च 2012 तक चरणबद्ध तरीके से बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराने के लिए लगभग 73,000 निर्दिष्ट व्यक्तियों में 5.11 करोड़ 'नो फ्रिल्ज' खातों के लिए प्रति वित्तीय समावेशन लाभानुभोगी खाते के लिए एकमुश्त 140 रुपए की एकमुश्त नियत लागत की प्रतिपूर्ति हेतु बैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है।

27. **विश्व बैंक के जरिए सरकारी क्षेत्र के बैंक का पुन: पूंजीकरण:** अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के तौर पर दिनांक 2.01.2009 के घोषित दूसरे प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत सरकार ने आर्थिक प्रोत्साहन देने के लिए कतिपय उपायों को रेखांकित किया जिनमें सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुन:पूंजीकरण के प्रस्ताव शामिल है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुन:पूंजीकरण के लिए प्रावधान इस पैकेज का हिस्सा है।

28. **सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पुन: पूंजीकरण:** यह प्रावधान सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पुन: पूंजीकरण करने के लिए है जिससे वे 8 प्रतिशत पर अपने टीयर-1 सीआरएआर रखने में समर्थ हो सकें और सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सरकारी धारिता को 58 प्रतिशत तक बढ़ा सकें।

29. **सारफेसी अधिनियम के अंतर्गत केद्रीय इलैक्ट्रोनिक रजिस्ट्री स्थापित करने के लिए आवश्यक पूंजी हेतु सरकार का अंशदान:** यह प्रावधान वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा संपत्ति के संबंध में सुरक्षा हित के सृजन से संबंधित लेन-देन के पंजीकरण के लिए सारफेशी अधिनियम, 2002 के तहत केंद्रीय इलैक्ट्रोनिक रजिस्ट्री की स्थापना के लिए सरकार के अंशदान हेतु है।

30. **लघुवित्त परियोजना की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को विश्व बैंक सहायता:** सिडबी को अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) से प्राप्त 100 मिलियन अमरीकी डालर (450.00 करोड़ रूपये) का ऋण देने हेतु बजट में संबंधित प्रविष्टि के जरिए "पास थ्रू" प्रविष्टि का प्रावधान करना।

31. **गोआ के बैंकों को ब्याज सब्सिडी:** यह प्रावधान गोआ के बैंकों को सब्सिडी के भुगतान के लिए है।

32.02 & 03. **किसानों को ऋण माफी और ऋण राहत के बदले में उधारदाता संस्थाओं को भुगतान:** यह प्रावधान किसानों को ऋण माफी और ऋण राहत के बदले में उधारदाता संस्थाओं को धनराशि जारी करने के लिए है। इसमें उधारदाता संस्थाओं को ब्याज के भुगतान के लिए प्रावधान भी शामिल है।

33. **सामुदायिक सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कम्पनियों को सब्सिडी:** यह प्रावधान सामुदायिक सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों को सब्सिडी प्रदान करने के लिए है।

34. **वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेन्शन योजना हेतु एलआईसी को ब्याज सब्सिडी:** यह प्रावधान पॉलिसीधारकों को पेंशन/वार्षिकी के लिए ब्याज सब्सिडी के भुगतान हेतु तथा पालिसी धारकों के नामितियों को खरीद मूल्य के बराबर एकमुश्त राशि अदा करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के लिए किया गया है।

35. **अधिभुगतान की वसूलियां काटना:** सामाजिक सुरक्षा और कल्याण से संबंधित भुगतान की वसूलियों को दर्शाता है।

36. **खर्च न किए गए अधिशेष की वसूलियां काटना:** सामाजिक सुरक्षा और कल्याण से संबंधित खर्च न किए गए अधिशेष की वसूलियों को दर्शाता है।

37. **अंसगठित क्षेत्र के लोगों को नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में शामिल होने के लिए बढ़ावा देने हेतु स्वावलंबन योजना:** यह बजट भाषण 2010-11 में घोषित स्वावलंबन योजना के तहत वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए है। इस स्कीम का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को स्वैच्छिक तौर पर अपनी सेवानिवृत्ति हेतु बचत के लिए नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में नामित कराने के लिए प्रोत्साहित करना है।